रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940
No. 789] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1086(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 तथा धारा 30क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है.

(2) ये 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-नियम (1) के अधीन पेंशन, सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए चालीस हजार आठ सौ छत्तीस रु. प्रति वर्ष की दर से संगणित की जाएगी किंतु यह इस शर्त के अधीन होगी कि इस नियम के अधीन संदेय पेंशन की कुल रकम, ऐसी किसी पेंशन की रकम सहित जिसके अंतर्गत ऐसी पेंशन, यदि कोई हो, का सारांशित भाग भी है, जो अधिकरण में पद धारण करते हुए प्राप्त किया गया है या जिसे प्राप्त करने का वह हकदार है, तेरह लाख पचास हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी."

[फा. सं. 2016/टीसी(आरसीटी)/1/7 सीपीसी/पेंशन]

विवेक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक (जन शिकायत)

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 1 जनवरी, 2016 से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है. यह प्रमाणित किया जाता है कि रेल दावा अधिकरण के किसी भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

टिप्पणी : प्रमुख नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 844 (अ.) तारीख 19 सितम्बर 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए थे:-

1. सा.का.नि. 726 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1991;
2. सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 1996;
3. सा.का.नि. 436 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 1996;
4. सा.का.नि. 563 (अ), तारीख 8 सितम्बर, 1998;
5. सा.का.नि. 96 (अ), तारीख 11 फरवरी, 1999;
6. सा.का.नि. 835 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 1999;
7. सा.का.नि. 733 (अ),तारीख 21 सितम्बर, 2000;
8. सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 25 मई, 2001;
9. सा.का.नि. 206 (अ), तारीख 13 मार्च, 2002;
10. सा.का.नि. 625 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2008;
11. सा.का.नि. 797 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 2008;
12. सा.का.नि. 828 (अ), तारीख 17 नवम्बर, 2009;
13. सा.का.नि. 796 (अ), तारीख 13 नवम्बर, 2014;
14. सा.का.नि. 13 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2014;
15. सा.का.नि. 124 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2015;
16. सा.का.नि. 500 (अ), तारीख 12 मई, 2016; और
17. सा.का.नि. 1088 (अ), तारीख 24 नवम्बर 2016.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2018

G.S.R. 1086(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 30 and section 30A of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :-

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

2. In the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

   "(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees forty thousand eight hundred and thirty sixty per annum for each completed year of service subject to the condition that the aggregate amount of pension payable under this rule, together with the amount of any pension including commuted

portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed rupees thirteen lakh fifty thousand per annum.".

[F. No. 2016/TC(RCT)/1/7 CPC/Pension]

VIVEK SRIVASTAVA, Executive Director (Public Grievances)

Explanatory Memorandum

Consequent to implementation of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission regarding Central Government Employees' pension, the Central Government has decided to revise the pension of the Chairman, Vice-Chairman and Members with effect from the 1st day of January, 2016. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Railway Claims Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 844(E), dated the 19th September, 1989 and subsequently amended as follows:-

1. G.S.R 726(E), dated the 6th December, 1991;
2. G.S.R. 185(E), dated the 12th April, 1996;
3. G.S.R. 436(E), dated the 26th September, 1996;
4. G.S.R. 563(E), dated the 8th September, 1998;
5. G.S.R. 96(E), dated the 11th February, 1999;
6. G.S.R. 835(E), dated the 30th December, 1999;
7. G.S.R. 733(E), dated the 21st September, 2000;
8. G.S.R. 386 (E), dated the 25th May, 2001;
9. G.S.R. 206 (E), dated the 13th March, 2002;
10. G.S.R. 625(E), dated the 29th August, 2008;
11. G.S.R. 797(E), dated the 19th November, 2008;
12. G.S.R. 828(E), dated the 17th November, 2009;
13. G.S.R. 796(E), dated the 13th November, 2014;
14. G.S.R. 13(E), dated the 7th January, 2014;
15. G.S.R. 124(E), dated the 26th February, 2015;
16. G.S.R. 500(E), dated the 12th May, 2016; and
17. G.S.R. 1088(E), dated the 24th November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.11.05 19:40:59 +05'30'